| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 17.10.2025 | अभिलेख उपस्थापित।<br>उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों के द्वारा एक आपसी समझौता पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त समझौता पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि मौजा-गिद्धौर, थाना नं0-21 के अन्तर्गत खाता संख्या-105, प्लॉट संख्या-766, रकबा-0.15 ए0 मधे रकबा-0.7$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि जो हमलोगो के बीच विवाद चल रहा था प्रश्नगत भूमि के संबंध में हमलोग आपस में मिलकर सुलहनामा कर लिए है अब हमलोगों के बीच उक्त भूमि को लेकर कोई विवाद नहीं है। अंचल कार्यालय गिद्धौर में संधारित विविध वाद संख्या-01/2024-25 को बन्द किया जाय। दोनों पक्षों के बीच समझौता के आधार पर अभिलेख आदेश पर रखें।<br>अभिलेख दिनांक-27.10.25 को उपस्थापित करें।<br>17/10/25<br>अंचल अधिकारी,<br>गिद्धौर। | |

| | आदेश |
|---|---|
| 22.10.25 | अभिलेख उपस्थापित। विविध वाद संख्या–01/2024–25 दीनानाथ दाँगी एवं अन्य बनाम कैलाश दाँगी एवं अन्य, मौजा–गिद्दौर, थाना नं0–21 गिद्दौर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अभिलेख के कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। उभय पक्ष को अपने दावा पेश करने हेतु सूचित किया गया। उभय पक्ष उपस्थित हुए दोनो पक्ष के द्वारा अपना–अपना तथ्य एवं दावे रखा गया। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा पर विचारोपरांत आदेश पारित किया जा रहा है। यह विषय राजस्व मौजा, गिद्दौर, थाना नं0–21, के अन्तर्गत रैयती खाता संख्या–105, प्लौट संख्या–766, रकबा–15 डी0 मधे रकबा–7.5 डी0 भूमि से संबंधित है प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वज के नाम से सर्वे खतियान में रैयती है। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदित भूमि मौजा गिद्दौर खाता संख्या–105, प्लॉट संख्या–766, रकबा–15 डी0 मधे रकबा–7.5 डी0 आवेदक की खतियानी भूमि है जिसका सर्वे खतियान हेमलाल महतो व ललित महतो, पिता–दिसुनाथ, महतो व खेदन महतो व महंगू महतो, पिता–फूलन महतो के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित तथ्यात्मक निवेदन लिखित रूप से दाखिल करते हुए बताया गया एवं स–विस्तार तथ्य पेश किया एवं बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान जो हमारे पूर्वज हेमराज महतो एवं अन्य के नाम से दर्ज है एवं लगान रसीद वर्तमान तक निर्गत है प्रश्नगत भूमि रकबा–0.04 एकड़ भूमि पर कार्तिक दाँगी, पिता–बहादुर दाँगी एवं अन्य द्वारा अवैध रूप से दखल कब्जा किया गया है। द्वितीय पक्ष कार्तिक दाँगी एवं अन्य द्वारा मौजा–गिद्दौर खाता संख्या–105, प्लौट संख्या–766 संबंधित अपने दावे में कोई कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है उनके द्वारा बतलाया गया कि प्रश्नगत भूमि मेरे पूर्वज को कैसे हासिल हुआ था उससे संबंधित कोई जानकारी नही है और ना ही किसी प्रकार का प्रश्नगत भूमि का कागजात दस्तावेज है। सिर्फ हमलोगों का उक्त भूमि पर दखल–कब्जा है। |

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्षगण का ग्राम–गिद्धौर के खाता संख्या–105, प्लॉट संख्या–766, रकबा–0.04 ए0 भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नही है। दखल–कब्जा के आधार पर विपक्षीगण के दावे की मान्यता देना उचित प्रतित नही होता है।

अतः उपर्युक्त उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कागजात, राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा के आधार पर ग्राम–गिद्धौर के खाता संख्या–105, प्लॉट संख्या–766, रकबा–0.04 ए0 भूमि पर द्वितीय पक्ष का मामला हक हकियत से संबंधित है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से संभव है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

27/10/25
अंचल अधिकारी,
गिद्धौर।

27/10/25
अंचल अधिकारी,
गिद्धौर।

Digitally signed by ANANT SHAYNAM VISHWAKARMA
Date: 2025.12.02 11:35:28 +05:30
Location: 192.168.31.178

Scanned with OKEN Scanner